

अवनीश कुमार शर्मा
दिशेष सचिव।



अर्धशाप०स०: १५०० / ३८-२-२०१९-पी०३०/२०१९
उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-२
लखनऊ दिनांक ।। सितम्बर, २०१९

आदरणीय महोदय,

कृपया प्रदेश में स्थापित औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति/चयन हेतु समिति की बैठक दिनांक १९-७-२०१९ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२— औद्योगिक न्यायाधिकरण में न्यायिक (सामान्य) पद हेतु चयन के संबंध में —चूंकि उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ४(B) ३(A) के अनुसार औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद हेतु मा० उच्च न्यायालय के सेवारत तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी अहं हैं, परन्तु मा० उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से सहमति पत्र आमंत्रित नहीं किये गये हैं। अतः औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक पद हेतु समिति द्वारा चयन स्थगित किये जाने पर सहमति बनी तथा वॉछित प्रक्रिया पूर्ण कर पुनः चयन हेतु समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश दिए गए।

३— इस संबंध में मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि दिनांक १९-७-२०१९ को समिति की हुई बैठक में दिए गए उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी न्यायिक सेवा (सामान्य) के ०१ पद हेतु मा० उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/उच्चतर न्यायिक सेवा/राज्य न्यायिक सेवा से इच्छुक अभ्यर्थियों की सहमति प्राप्त करते हुए १० वर्षों की चरित्रपंजी सहित विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श्री ८८

भवदीय,

(अवनीश कुमार शर्मा)

श्री अतुल श्रीवास्तव,
एच०जे०एस० रजिस्ट्रार (जुडिसियल)
(सर्विस) मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।